राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1907/2013

रमेश चंद डाबी

–अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज., जयपुर।
3. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
4. निबन्धक, राजस्व मंडल, अजमेर।
5. निदेशक, पैंशन विभाग, राज., जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, पैंशन विभाग, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.12.2013
आदेश की दिनांक : 17.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 16.06.1972 (अनुलग्नक–1) द्वारा संगणक के पद पर तदर्थ आधार पर की गई थी, की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 20.06.1972 को कार्यग्रहण कर लिया। तत्पश्चात निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 24.10.1978 (अनुलग्नक–2) को सांख्यिकी सहायक के पद पर कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी के सांख्यिकी सहायक के पद पर नियुक्ति उपरांत उप निबन्धक प्रशासन राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 08.06.1979 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला का लाभ देते हुए वेतन 530 रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया। अपीलार्थी सहायक निदेशक सांख्यिकी के पद पर सेवारत रहते हुए राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक 31.08.2011 को सेवानिवृत हो गया। दिनांक 31.08.2011 का राजपत्रित अवकाश होने के कारण अपीलार्थी को दिनांक 30.08.2011 को मध्यान्ह पश्चात् राजकीय सेवा से कार्यमुक्त कर दिया। अपीलार्थी की सेवानिवृति के पश्चात उप निबन्धक प्रशासन राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 19.09.2011 (अनुलग्नक–5)

द्वारा अपीलार्थी के पूर्व फिक्सेशन आदेश दिनांक 08.06.1979 (अनुलग्नक–3) में आंशिक रूप से संशोधन कर अपीलार्थी का वेतन निर्धारण किया गया। उक्त आदेश द्वारा पूर्व आदेशों में संशोधन कर दिया गया। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 19.09.2011 (अनुलग्नक–5) के विरूद्ध विस्तृत अभ्यावेदन शासन सचिव वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किया उक्त अभ्यावेदन उप निबन्धक प्रशासन राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा भी दिनांक 28.11.2011 को प्रत्यर्थी संख्या–1 को प्रेषित किया गाय। अपीलार्थी द्वारा प्रमुख सचिव महामहिम राज्यपाल राजस्थान सरकार जयपुर को भी दिनांक 12.12.2011 (अनुलग्नक–8) को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उक्त अभ्यावेदन द्वारा अपीलार्थी ने अपने पूर्व पद संगणक वेतन श्रृंखला में जम्प का लाभ लेने तक दिनांक 28.06.1979 तक बने रहने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का परीक्षण करने के उपरांत राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा आदेश क्रमांक राम/प–1(708)निजी/स्था/10/5451 दिनांक 22.05.2012 (अनुलग्नक–12) को जारी किया गया। उक्त आदेश द्वारा निदेशक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.05.2012 से पूर्व जारी प्रमाण पत्र दिनांक 17.02.2012 को निरस्त करते हुए संस्थाई रूप से संशोधित प्रमाण पत्र जारी कर मण्डल को अवगत कराया कि श्री डाबी दिनांक 20.06.1972 से दिनांक 28.10.1978 तक संगणक के पद पर अस्थाई रूप से कार्यरत रहे श्री डाबी द्वारा वेतन उन्नयन का अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने एवं निदेशक आर्थिक एवं साख्यिकी द्वारा इनका चयन संस्थाई माने जाने के संदर्भ में मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 19.09.2011, 12.10.2011 एवं 30.11.2011 से किये गये संशोधित वेतन निर्धारण/वेतन वृद्धियों को निरस्त करते हुए दिनांक 28.10.1978 को श्री डाबी को वेतन उन्नयन राजस्थान सेवा नियम के नियम 35ए(3) के अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है। उक्त आदेश द्वारा पूर्व आदेशों को निरस्त करते हुए आदेश दिनांक 22.05.2012 (अनुलग्नक–9) द्वारा अपीलार्थी का वेतन संशोधन कर दिया गया। अपीलार्थी के वेतन संशोधन किये जाने के कारण उप निबन्धक प्रशासन राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 09.01.2013 जारी किया गया। उक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी से 1,16,810/– रूपये की वसूली अपीलार्थी से की जाने के संदर्भ में अपीलार्थी को सूचित किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त वसूली के संदर्भ में विस्तृत अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 23.01.2013 (अनुलग्नक–12) को प्रस्तुत किया गया। निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 31.05.2013 (अनुलग्नक–13) जारी कर अपीलार्थी को सूचित किया गया कि पूर्व में वसूली योग्य राशि 1.16.810/–दर्शाई गई थी। सेवापुस्तिका के साथ ड्यू ड्रान स्टेटमैन अंति पैंशन

स्वीकृति हेतु पैंशन विभाग को भिजवाये जाने पर पैंशन विभाग के आक्षेप पत्र दिनांक 22.03.2013 के क्रम में स्टेटमेंट की इकजाई जोड़ लगाये जाने पर वसूली योग्य कुल राशि 1,42,995/– बनती है। शासन उप सचिव आयोजन ग्रुप–1 विभाग द्वारा अपीलार्थी के 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्परूप द्वितीय एवं तृतीय एसीपी का लाभ प्रदान करते हुए अपीलार्थी का वेतन निर्धारण आदेश दिनांक 27.05.2010 (अनुलग्नक–14) द्वारा किया गया। शासन उप सचिव आयोजना ग्रुप–1 विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 04.11.2010 (अनुलग्नक–15) द्वारा अपीलार्थी को विभागीय पदोन्नति समिति के सिफारिश अनुसार चयन उपरांत सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी को वर्ष 2009–2010 आंवटित किया गया। अपीलार्थी को पदोन्नति के उपरांत सहायक निदेशक राजस्व मंडल अजमेर के पद पर दिनांक 04.11.2010 (अनुलग्नक–15) को पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी के सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति किये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम 24 के तहत वेतन नियतन आदेश दिनांक 08. 03.2011 (अनुलग्नक–17) द्वारा किया गया। उक्त वेतन नियतन के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को वर्तमान वेतन का 3 प्रतिशत नियमानुसार आवंटित किया गया। अपीलार्थी को जनवरी 2012 में प्रोविजनल पैंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है। अपीलार्थी दिनांक 31.08.2011 को राजस्व मंडल अजमेर में सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत हो चुका है। अपीलार्थी की सेवानिवृति पश्चात् अपीलार्थी के पूर्व आदेश दिनांक 08.06.1979 द्वारा किये गये फिक्सेशन में संशोधन किया गया है। जो कि अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी की सेवानिवृति के पश्चात उसे पूर्व प्रदत्त फिक्सेशन आदेश में संशोधन नहीं किया जा सकता। आदेश दिनांक 08.06.1979 द्वारा जो फिक्सेशन किया गया था उसमें अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है। उक्त फिक्सेशन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अने विनिश्चयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि अपीलार्थी द्वारा कोई मिस रिप्रजेंटेशन नहीं किया गया और अपीलार्थी को अधिक भुगतान की गई राशि वसूल नहीं की जा सकती। निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के आदेश दिनांक 24.10.1978 द्वारा सांख्यिकी सहायक के पद पर नियुक्ति होने से आरएसआर नियम 26 ए के तहत संगणक की वेतन श्रृंखला 385–10–415–15–490–20–650 में एक वेतन वृद्वि देने से इनका वेतन आरपीएसआर 1976 की टेबल संख्या 10 के नीचे अंकित टिप्पणी संख्या–1 के अनुसार वेतन रूपये 530 हो जाता है। अतः सांख्यिकी सहायक के पद पर कार्यभार संभालने की तिथि 28.10.1978 से वेतन 530 रूपये प्रतिमाह नियम

किया जाकर आगामी वेतन वृद्धि की तिथि 20.06.1979 निश्चित की गई। सांख्यिकी सहायक के पद पर नियुक्ति उपरांत अपीलार्थी को संगणक के पद पर जम्प का लाभ दिये जाने पर अपीलार्थी द्वारा सांख्यिकी सहायक के पद पर कार्यग्रहण कर लिया था। अन्यथा अपीलार्थी के पास संगणक के पद पर उक्त जंप का लाभ लेने की तिथि 20.06.1979 को सांख्यिकी सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने का विकल्प उपलब्ध था। राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश द्वारा अपीलार्थी की 33 वर्षों के सेवाकाल की समस्त वेतन वृद्धिया संशोधित वेतनमान, चयनित वेतनमान आदि प्रभावित हो गये है तथा वर्ष 1979 से 2011 संशोधन कर वसूली की जा रही है। राजस्थान सेवा नियम में वर्णित नियम 24 में पदोन्नति पद वेतन नियतन के लिए उल्लेख किया गया है। उक्त नियम में अंकित किया गया है कि यदि पदोन्नति में रंनिंग पे बैण्ड बदलता है तो 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि दी जावेगी इसी क्रम में मण्डल के आदेश क्रमांक 2433 दिनांक 08.03.2011 द्वारा वेतन नियतन किया गया है परंतु पैंशन विभाग ने इसे गलत बताया है। इस कारण मण्डल द्वारा उक्त 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि का आदेश वापस ले लिया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.05.2012 (अनुलग्नक–9) को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.06.1979 (अनुलग्नक–3) के अनुसार ही वेतन भुगतान किया जावे, अपीलार्थी से वसूली के संदर्भ में जारी पत्र दिनांक 31.05.2013 (अनुलग्नक–13) निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति उपरांत 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ जो आदेश दिनांक 08.03.2011 (अनुलग्नक–17) द्वारा प्रदान किया गया था, निरन्तर प्रदान किया जावे। साथ ही अपीलार्थी को नियमानुसार पूर्ण पैंशन परिलाभ मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के प्रदान करने एवं अपीलार्थी की पैंशन संशोधित की जाकर एरियर एवं पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि विभागीय आदेश दिनांक 22.05.2012 एवं दिनांक 13.05.2013 पूर्णतः नियमानुसार विधि सम्मत आदेश जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि आदेश के नियमों के उल्लघंन अथवा दुर्भावना के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 20.06.1972 को संगणक के पद पर हुई थी। निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक

24.10.1978 से अपीलार्थी का चयन सांख्यिकी सहायक के पद पर होने से अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.10.1978 को सांख्यिकी सहायक के पद पर कार्यग्रहण किया गया। किंतु तत्समय अपीलार्थी की संगणक पद से सांख्यिकी सहायक के पद पर पदोन्नति मानते हुए वेतन निर्धारण आदेश दिनांक 08.06.1979 को किया गया, जबकि सांख्यिकी सहायक के पद पर पदोन्नति नहीं होकर इस पद पर आदेश दिनांक 24.10.1978 से चयन किया गया था। इस अनुसार अपीलार्थी तत्समय पदोन्नति का लाभ देय नहीं था। पेंशन प्रकरण संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर को पेंशन स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर पेंशन विभाग के आक्षेपों के अनुरूप पुनः वेतन निर्धारण करते हुए नये वेतन निर्धारण आदेश दिनांक 19.09.2011 जारी कर आगे के भी वेतन निर्धारण किये जाने की कार्यवाही की गयी। अभ्यावेदन की प्रति वित्त (नियम) विभाग राजस्थान–जयपुर के पत्र दिनांक 02.01.2012 से मण्डल को भिजवाते हुए लिखा गया है कि मण्डल द्वारा जारी संशोधित वेतन निर्धारण आदेश दिनांक 19.09.2011 प्रथम दृष्टया नियमानुसार है। अपीलार्थी का अभ्यावेदन मण्डल को भिजवाते हुए लिखा गया कि यदि नियमानुसार संभव हो तो प्ररकण में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे तथा यदि अपीलार्थी सांख्यिकी सहायक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के समय संगणक पद पर संस्थाई रहे है तो अपीलार्थी का प्रकरण राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 35ए (3) के तहत पदस्थापित वित्तीय सलाहकार से परीक्षण कराया जावे। उक्त पत्र प्राप्त होने पर अभ्यावेदन का परीक्षण कराते हुए संशोधित वेतन निर्धारण आदेश दिनांक 22.05.2012 व दिनांक 31.10.2012 जारी किये गये तथा आदेश में अपील में वर्णित बिंदू संख्या 7 में जारी प्रमाण पत्र, पूर्ण तथ्य एवं वित्त विभाग से प्राप्त पत्रों का भी उल्लेख किया गया। इस प्रकार उक्त विस्तृत संशोधित वेतन नियतन जारी किये गये। अपीलार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 23.01.2013 का परीक्षण कराया गया। राज्य सरकार के द्वारा राज्य कर्मचारियों के समय समय पर जब कभी भी वेतन नियतन किये जाते है, संबंधित राज्य कर्मचारी/अधिकारी को अधिक भुगतान होने की स्थिति में उससे वसूली की अण्डरटेकिंग प्राप्त की जाती है। अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन में वसूली राशि पर किसी तरह का कोई आक्षेप अंकित नहीं किया है, केवल मात्र अधिक भुगतान की राशि को वित्त विभाग से आवेदन कर माफ कराने हेतु प्रकरण भेजने का अनुरोध किया गया है, जिसका कोई वित्तीय औचित्य प्रतीत नहीं होता है। राज्य सरकार के द्वारा अधिक भुगतान की वसूली का ही वस्तुतः प्रकरण होने से निर्देशानुसार पेंशन प्रकरण में वसूली की टिप्पणी अंकित कर अंतिम पेंशन निर्णित करने हेतु पेंशन विभाग को भिजवाया गया है। अपीलार्थी के दिनांक 28.10.1978 से निरंतर सेवानिवृत दिनांक से पूर्व की वेतन वृद्धियां तक का वेतन निर्धारण संशोधित

किया गया है। अतः वर्णित आदेश भी स्वतः ही संशोधित हुआ है। पूर्व में वेतन नियतन गलत होने से अधिक भुगतान की राशि वसूली योग्य होने से वसूली आदेश नियमानुसार जारी किये गये है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने के विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

.....

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य